न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत–2017 केम्प कोर्ट बालेसरिया तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 7/2012 राजस्व अपील

उनवान

1. रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा मुतबन्ना सूरजमल बैरवा जाति चमार निवासी दूदला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

—— अपीलार्थी

बनाम

1 अमरा पिता नाथु बैरवा निवासी दूदला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 गोपाल पिता नाथु बैरवा निवासी दूदला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 शंकर पिता देबी बैरवा निवासी दूदला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 रामू पत्नि देबी बैरवा निवासी दूदला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 शांतिलाल पिता उदा बैरवा निवासी दूदला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 ग्राम पंचायत बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच
7 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 659 आदेश दिनांक 20–01–2012 ग्राम पंचायत बालेसरिया

उपस्थित –
1. अपीलार्थी स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 18.05.2017

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम दूदला, पटवार मण्डल बालेसरिया सूरजमल पिता भूरा बैरवा निवासी दूदला तहसील बनेडा के कोई जायन्दा पुत्र नही होने व अविवाहित से सूरजमल ने अपीलार्थी रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा प्राकृतिक पिता उदयलाल बैरवा निवासी दूदला को रीति रिवाजो अनुसार गोद लिया व दिनांक 07.08.1998 को सौ रूपये के स्टाम्प पर रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित कर गोद लिया। सूरजमल के देहान्त उपरान्त प्रत्यर्थीगण द्वारा ग्राम पचांयत व राजस्व कर्मचारीयों से मिलिभगती कर प्रत्यर्थीगणो ने अपने नाम पर नामान्तकरण फैसल करवा लिया। जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त योग्य है।

उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को 10.09.2012 को हुई तथा उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रा. पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित पक्षकरान को सुना गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो सजरा प्रमाणित किया है उसमें अपीलार्थी को मृतक सुरजमल के कोई जाईन्दा पुत्र पुत्री नही होने से वारिस होने नहीं बताया गया है। इसके विपरीत मृतक सुरजमल के गोदपुत्र होने के प्रमाण में अपील मेमों के समर्थन में उसके रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 07.08.1999 की प्रति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया एवं इसके अतिरिक्त केम्प के दौरान उपस्थित रेस्पोडेन्ट्स संख्या 07 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टी होती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी मृतक

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

वारिस जुड़वाने के अधिकारी है। हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक सूरजमल के गोदपुत्र वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 659 आदेश दिनांक 20–1–2012 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बनेड़ा को रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। तहसीलदार उक्त प्रकरण में अजसिरे उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर 6 माह की समयावधि में नवीन निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 18.05.2017 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प बालेसरिया में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रत्नलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

क्रमांक/प्रकरण संख्या/अपील एलआर/07/2012 दिनांकः 18.05.2017

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.